सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 71 राँची, गुरुवार

16 माघ, 1936 (श०)

5 फरवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

30 जनवरी, 2015

कृपया पढ़े:-

1. उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक-857/गो0, दिनांक 27 अप्रैल, 2008

2. आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण पत्रांक-247/मेसो, दिनांक 16 जून, 2008

संख्या-5/आरोप-1-346/2014 का०-806 -- श्री कमल जॉन लकड़ा, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-485/03, गृह जिला- गुमला), के विरूद्ध इनके परियोजना पदाधिकारी, मेसो क्षेत्र, दुमका के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, दुमका के ज्ञापांक-857/गो0, दिनांक 27 अप्रैल, 2008 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क ' में प्राप्त है । श्री लकड़ा के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

1. आदिम जनजाति विकास समिति, दुमका जिला की ओर से एक आवेदन दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 को प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2006-07 में बिरसा आवास योजनाओं की स्वीकृति में काफी अनियमितता हुई है । मृत तथा जो व्यक्ति गाँव में नहीं रहते हैं उनके नाम से योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है । यह भी शिकायत की गयी थी कि जिन्हें इंदिरा आवास/दीन दयाल आवास दिया गया है, उन्हें भी बिरसा आवास की स्वीकृति दी गयी है एवं एक ही परिवार के सदस्यों को विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है । योजना का कार्य बिचैलियों के माध्यम से कराया जा रहा है तथा प्राक्कलन के अनुसार योजना का कार्य नहीं कराया जा रहा है ।

सर्वप्रथम इस कार्यालय के पत्र सं0 1246/गो0, दिनांक 18 जुलाई, 2007 के द्वारा दुमका प्रखण्ड के आसनसोल पंचायत में कार्यान्वित बिरसा आवास की जाँच श्री दिनेश कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी, दुमका एवं श्री महेश कुमार चैधरी, सहायक अभियंता, दुमका प्रखण्ड से करायी गयी । श्री दिनेश कुमार सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी दुमका के पत्रांक 1057/स्था0, दिनांक 08 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में आसनसोल पंचायत के बिरसा आवास निर्माण में कई त्रुटियाँ पायी गयी । जैसे- वर्षा में सभी आवासों में दीवार के सहारे घर पर पानी जमा हो जाना, दरवाजा एवं खिड़कियाँ ठीक से नहीं लगाया जाना, जी0सी0आई0 शीट की मोटाई प्राक्कलन के अनुरूप नहीं लगाना, प्राक्कलन के अनुसार ग्रास थ्रेचिंग नहीं किया जाना, चूना पुताई मात्र एक ही बार किया जाना, जी0सी0आई0 शीट में दीवार पर इम्बेडिंग नहीं किया जाना आदि त्रुटियाँ पायी गयी । इससे स्पष्ट होता है कि बिरसा आवास का निर्माण आपके द्वारा प्राक्कलन के अनुसार नहीं कराया गया है एवं जिस उद्देश्य के लिये आदिम जनजातियों को आवास की सुविधा मुहैया कराना था, उस उद्देश्य की पूर्ति आपकी लापरवाही के कारण नहीं हो सकी ।

2. आरोप कंडिका-1 से सुस्पष्ट होता है कि आपके द्वारा कभी भी योजनाओं का पर्यवेक्षण नहीं किया गया है । जिसके कारण प्राक्कलन के अनुरूप योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका । इससे आपका कार्य शिथिलता को परिलक्षित करता है ।

3. (i) कंडिका-1 की आरोपों के संबंध में आपसे आसनसोल पंचायत के 11 बिरसा आवास योजना अभिलेखों की माँग की गयी थी किन्तु आपके द्वारा मात्र 8 अभिलेख उपलब्ध कराया गया, जिसमें मापी विपत्र भी संलग्न नहीं था ।

(ii) प्राक्कलन के अनुसार योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आपसे इस कार्यालय के पत्रांक 1948/गो0, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 द्वारा तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी। किन्तु आपके द्वारा स्पष्टीकरण अभी तक समर्पित नहीं किया गया है ।

4. इस कार्यालय के ज्ञापांक 1970/गो0, दिनांक 01 नवम्बर, 2007 के द्वारा शिकारीपाड़ा, मसलिया, काठीकुंड, दुमका, रामगढ़ एवं जामा प्रखण्ड के लिये स्वीकृत बिरसा आवास के लाभुकों की सूची की जाँच हेतु दो-दो सदस्यों का तीन जाँच दल गठित कर विस्तृत जाँच करने का निदेश दिया गया ।

जिला योजना पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक 237, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 द्वारा काठीकुंड प्रखण्ड का समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री श्याम सुंदर देहरी, श्री महादेव देहरी, ग्राम-बोआचापर; जोगेश्वर देहरी, ग्राम-लखनपुर; श्री रामनाथ देहरी, ग्राम-छमराही गाँव/मौजा में नहीं रहकर परिवार के साथ बाहर रहते हैं, फिर भी उनका नाम बिरसा आवास की सूची में शामिल कर बिचैलिया के माध्यम से बिरसा आवास का निर्माण कराया जा रहा है । बिरसा आवास की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई । इसी प्रकार लाभुक लुखिया देहरी, ग्राम-बोआचापर अपने पुत्र के साथ रहती है तथा पुत्र के नाम पूर्व से दीनदयाल आवास बनाया गया है, फिर भी उनके नाम से बिरसा आवास की स्वीकृति दी गयी है ।

जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के पत्र सं0-1002, दिनांक 14 नवम्बर, 2007 के द्वारा शिकारीपाड़ा प्रखण्ड अंतर्गत स्वीकृत बिरसा आवास की सूची का सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि श्री दुर्गा देहरी, श्री समरू देहरी, श्री विपिन देहरी, श्री लालू देहरी, ग्राम- भालकी, पंचायत-बरमसिया को पूर्व में इंदिरा आवास दिया गया है । किन्तु पुनः उन्हें बिरसा आवास की स्वीकृति दी गयी है । इसी प्रकार श्रीमती बुधनी देहरी, पति-स्व0 मुडिया देहरी; श्रीमती रतिया देहरी, पति-श्री बुधनी देहरी; श्री भोड़ेया देहरी, पिता-श्री जोगिया देहरी; श्री अर्जुन गृही, पिता- श्री दुलू गृही, ग्राम- करमचुआँ एवं श्री राजू देहरी, पिता- श्री असान देहरी, ग्राम-मोहलबना; श्री रघु देहरी, पिता-स्व0 मोहरा देहरी, ग्राम-रसनाला जाँच के क्रम में ग्राम में नहीं पाया गया । यह लाभुक गाँव में नहीं रहते हैं फिर भी उनके नाम से बिरसा आवास की स्वीकृति दी गयी ।

जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, दुमका से रामगढ़ प्रखण्ड के लिये स्वीकृत बिरसा आवास की सूची का सत्यापन कराया गया है । उनके द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्रीमती करमापति देवी, श्रीमती मन्तोरिया मोसमात, श्रीमती गायत्री देवी, श्रीमती चाँदमुनी मोसमात, श्रीमती धनमुनि देवी, सभी-ग्राम बीचगढ़ा, पंचायत कौआम के निवासी हैं । उनके पति के नाम से दीनदयाल आवास पूर्व में बना है, फिर भी इन लोगों का नाम बिरसा आवास की सूची में शामिल करते हुए आवास की स्वीकृति दी गयी है । इसी प्रकार श्रीमती देवा देहरीन, पति-स्व0 समा देहरी, ग्राम-केन्दुआटीकर की मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनके नाम से बिरसा आवास की स्वीकृति दी गयी है । जामा प्रखण्ड एवं दुमका प्रखण्ड की सूची का सत्यापन कराने पर इसी प्रकार की त्रुटियाँ

पायी गयी हैं इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा जानबूझकर वैसे व्यक्तियों को, जिन्हें पूर्व में इंदिरा आवास/दीनदयाल आवास दिया गया है, उन्हें भी बिरसा आवास की सूची में शामिल किया गया है, जो आपके कत्र्तव्य के प्रति लापरवाही का परिचायक है ।

जाँच-दल द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन में पायी गयी त्रुटियों के संबंध में आपसे इस कार्यालय के ज्ञापांक-2189/गो0, दिनांक 06 दिसम्बर, 2007 द्वारा तीन दिनों के अंदर कंडिकावार स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, किन्तु आपका पत्र सं0-551, दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया । आपके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कंडिकावार स्थिति स्पष्ट करने के बजाय बिरसा आवास योजना कार्यान्वयन की विधि एवं नियमों का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया गया, जिसे किसी भी स्थिति में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है ।

5. जाँच-प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि काठीकुण्ड प्रखण्ड के लखनपुर में बिचैलिया रहमत खाँ, बोआचापर में सनाउल अंसारी द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है जिसमें आपकी संलिप्तता परिलक्षित होता है, क्योंकि नियमानुसार लाभुकों को ही बिरसा आवास का निर्माण कराया जाना है, किंतु ऐसा नहीं करा कर बिचैलिया द्वारा कराया जाना आपका गलत मंशा को दर्शाता है ।

6. श्री प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम, कनीय अभियंता को दुमका प्रखण्ड के पंजनपहाड़ी में 10 यूनिट बिरसा आवास के लिये 3,25,000.00रू० अग्रिम के रूप में आपके द्वारा दिया गया था, जिसके विरूद्ध श्री हेम्ब्रम द्वारा क्रमशः 1,63,000.00रू० का कार्य कराया गया एवं 1,57,000.00रू० असमायोजित राशि काफी दिनों तक उनके पास पड़ा रह गया। इसी प्रकार आसनसोल में 11 यूनिट बिरसा आवास के लिये श्री हेम्ब्रम को 5,77,500.00रू० अग्रिम आपके द्वारा दिया गया था। जिसके विरूद्ध उनके द्वारा 3,79,000.00रू० का विपत्र समर्पित किया गया एवं 1,98,157.00रू० काफी दिनों तक उनके पास पड़ा रहा। जिसकी वसूली के लिये आपके द्वारा तुरंत कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गयी। इसी प्रकार शिकारीपाड़ा प्रखण्ड के ग्राम-मनियाचुआँ, शिकारीपाड़ा, सरायपानी, गोराडंगाल एवं गम्हरा में बिरसा आवास निर्माण के लिये दिये गये अग्रिम के विरूद्ध श्री प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम, कनीय अभियंता से 4,02,362.00 रूपये असमायोजित राशि काफी दिनों तक पड़ा रह गया, जो सरकारी राशि के दुरूपयोग एवं गबन का मामला बनता है। इस संदर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक-1763/गो0, दिनांक 29 सितम्बर, 2007 एवं 1948/गो0, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछने के पश्चात् काफी दिनों के बाद आपके पत्र सं0 560, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 एवं 561, दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 के द्वारा श्री प्रेम प्रकाश हेम्ब्रम के विरूद्ध शिकारीपाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया, जो आपकी संलिप्तता को स्पष्ट करता है ।

7. दिनांक 12 अप्रैल, 2008 को महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के दुमका आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिये आपकी खोज दिनांक 11 अप्रैल, 2008 एवं 12 अप्रैल, 2008 को की गयी, किन्तु दोनों दिन आपको मुख्यालय से अनुपस्थित पाया गया। रात्रि 10:00 बजे आवास में भी आप उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार आप दिनांक 11 अप्रैल, 2008 से 12 अप्रैल, 2008 तक अनधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहे । पूर्व में भी कई बार आप कई बार मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये थे। इस स्पष्ट होता है कि आप उच्चाधिकारी को बिना सूचना दिये मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जो सरकारी पदाधिकारी के आचरण के विरूद्ध है ।

श्री लकड़ा के पत्रांक-247/मेसो, दिनांक 16 जून, 2008 द्वारा उक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री लकड़ा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त आरोप सं0-4 एवं 6 को प्रमाणित पाया गया । उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री लकड़ा पर 'निन्दन ' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 71—50 ।